(मूल वाद में डिक्री)( )

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

बनाम

नहीरीकर बुहाना

दावा बाबत :– घोषणात्मक (88 RT ACT)

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :– 25/11/2021

वादी की ओर से [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से नहीरीकर बुहाना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25/11/2021 को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष [illegible] निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वादी के नाम जमाबंदी [illegible] 7, 8, 9, 11 रकबा [illegible] रकबा 4.33 हेक्टेयर [illegible] 4, से [illegible] हेक्टेयर [illegible] घोषित किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:15:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)